

196



राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

निगरानी - 5222/2018/उज्जैन/शू.श.

नरेन्द्र पिता बगदीराम, उम्र-40 वर्ष,
जाति- भोल, धंधा-मजदुरी निवासी स्वेज
फार्म, म्यु. वार्ड क्र. 12 उज्जैन

..... आवेदक
विरुद्ध

राजपाल
उज्जैन
30-8

1. कलीवाई पिता नाथुजी पति मोतीलाल
धकड़, आयु-68 वर्ष, धंधा-कृषि,
निवासी-स्वेज फार्म, म्यु. वार्ड क्र. 12
उज्जैन
2. लक्ष्मण पिता कुलाई भोई
3. प्रकाश पिता किशनलाल
4. पवन पिता किशनलाल
5. रावेश पिता किशनलाल
6. मदन पिता भागीरथ
7. मोहियम पिता जानकीलाल
8. आनंदलाल पिता देवजी
9. रामचंद्र पिता भैरूलाल
10. अशा क पिता राधेश्याम
11. गुवान पिता भैरूलाल
12. रावेश पिता धन्नालाल
13. राजराम पिता बगदीलाल
14. इशर पिता शंकरलाल
15. प्रेम पिता मांगीलाल
16. प्रभुलाल पिता बगदीराम
17. कन्हैयालाल पिता रामनाथ
18. लदीराल पिता कालू धाकड़.
19. पुनवचन्द्र पिता आत्माराम
20. मोरखन पिता पन्नालाल
निवासी-स्वेज फार्म, म्यु. वार्ड क्र. 12
उज्जैन

..... अनावेदक



विषय :- अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील उज्जैन के
न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/2017-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक
4-01-2018 से असंतुष्ट होकर निगरानी धारा 50 म. प्र. मू. राजस्व
संहिता के अन्तर्गत :-

3
नरेन्द्र शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5222/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	